उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 किलो 370 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया है ।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद महोबा को अपराधमुक्त और सुरक्षित परिवेश प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध की जा रही ताबडतोड़ कार्यवाही के क्रम में जनपद महोबा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बरामदगी एवं ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके कब्जे से बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 05.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त आशीष साहू पुत्र सुरेश चन्द्र साहू उम्र 30 वर्ष निवासी लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 किलो 370 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए पठा रोड पावर हाउस के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 107/25 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आशीष साहू पुत्र सुरेश चन्द्र साहू उम्र 30 वर्ष नि0 लौड़ी तिगैला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी भटीपुरा
2. का0 दीपेश कुमार

सावधान: स्पीड लिमिट नहीं करें क्रास, लग सकता है जुर्माना...!!

स्पीड रडार गन से जांची गयी वाहनों की रफ्तार, निर्धारित गति से तेज चलने वाले वाहनों के विरुद्ध की गई ई- चालान की कार्यवाही...।

बढ़ते सड़क हादसों के पीछे तेज गति से वाहन चलाने की बात सामने आती है, ऐसी सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने एवं रास्तों में वाहनों की स्पीड कम करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से जनपद महोबा में यातायात प्रभारी महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातयात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 05.03.2025 को दुर्घटना बाहुल्य स्पॉट को चिन्हित कर सड़क पर स्पीड रडार गन लगाकर वाहनों की गति को मापा गया है, साथ ही ओवर स्पीड में फर्राटा भर रहे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार ई-चालान की कार्यवाही की गयी है।

यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया स्पीड रडार गन के माध्यम से 10 वाहनों का ई-चालान किया गया है। इस दौरान वाहन चालकों को निर्धारित स्पीड में ही वाहन चलाने की चेतावनी दी गयी है। निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड में वाहन चलाने पर स्पीड रडार गन के रडार में वाहन आ जाएगा। इसके बाद हाईस्पीड वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगेगा।

बढ़ते हादसों को लेकर स्पीड भी एक कारण माना जा रहा है, हाईस्पीड के कारण प्रतिदिन सड़क हादसा हो रहे हैं, स्पीड से वाहन न चले और सड़क हादसों में कमी आए।

ऐसे सड़क हादसों को कम करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी अपने-अपने थानाक्षेत्रों में सजग होकर वाहन चेकिंग अभियान चलाये और यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरुक कर सचेत करें।

माँ0 चन्द्रिका महिला महाविद्यालय में आयोजित हुई साइबर जागरुकता चौपाल-

आज दिनांक- 05.03.2025 को साइबर अपराध के जागरुकता अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा के ग्राम मामना में मां चंद्रिका महाविद्यालय के छात्राओं के NSS कैम्प में म0उ0नि0 शिवांगी गुप्ता व क0आ0 अभिषेक वर्मा द्वारा साइबर अपराध से अपने आप को कैसे बचाये एवं साइबर फ्राड हो जाने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल(NCRP) द्वारा जारी टोल फ्री न0 1930 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करे या साइबर पोर्टल बेवसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करे एवं नजदीकी थाना या साइबर थाना में सम्पर्क करे। साइबर जागरूकता में करें और न करें (Do's & Don'ts in Cyber Awareness)

✓ क्या करें (Do's)

1. **मजबूत पासवर्ड बनाएं** – पासवर्ड कम से कम 8-12 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिह्न (*@#%&) शामिल हों।
2. **दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA) का उपयोग करें** – अपने बैंक, ईमेल और सोशल मीडिया खातों में 2FA चालू रखें।
3. **सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस अपडेट करें** – कंप्यूटर और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को समय-समय पर अपडेट करते रहें।
4. **सार्वजनिक Wi-Fi से बचें** – यदि उपयोग करना ज़रूरी हो, तो VPN (Virtual Private Network) का उपयोग करें।
5. **विश्वसनीय वेबसाइटों से ही खरीदारी करें** – URL "https://" से शुरू होनी चाहिए और साइट के प्रमाणपत्र (SSL) को जांचें।
6. **संदेहजनक ईमेल और लिंक की जांच करें** – किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करें।
7. **सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी साझा करें** – अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे फोन नंबर, पता या बैंक डिटेल्स सार्वजनिक न करें।
8. **डेटा का बैकअप रखें** – महत्वपूर्ण फ़ाइलों का बैकअप नियमित रूप से क्लाउड या एक्सटर्नल ड्राइव में लें।
9. **संदेहास्पद गतिविधि की रिपोर्ट करें** – साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं को **cybercrime.gov.in** या लोकल पुलिस में रिपोर्ट करें।
10. **सुरक्षित ब्राउज़िंग करें** – अज्ञात वेबसाइटों पर जाने से बचें और पॉप-अप विंडोज को अनदेखा करें।

✗ क्या न करें (Don'ts)

1. **कमज़ोर पासवर्ड का उपयोग न करें** – '123456', 'password', 'abcd1234' जैसे आसान पासवर्ड न बनाएं।
2. **अनजान ईमेल या फ़ोन कॉल पर विश्वास न करें** – किसी भी संदिग्ध ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें या कॉल पर बैंक डिटेल्स न बताएं।
3. **ओपन नेटवर्क या सार्वजनिक Wi-Fi पर महत्वपूर्ण कार्य न करें** – बैंकिंग या लॉगिन जैसी संवेदनशील गतिविधियां सार्वजनिक नेटवर्क पर न करें।
4. **फिशिंग अटैक का शिकार न बनें** – अगर कोई बैंक, कंपनी या दोस्त संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट भेजे, तो बिना जांचे न खोलें।
5. **फेक ऐप्स डाउनलोड न करें** – हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या Google Play Store / Apple App Store से ही ऐप डाउनलोड करें।
6. **USB या अनजान डिवाइस को बिना स्कैन किए कनेक्ट न करें** – इससे वायरस और मैलवेयर का खतरा हो सकता है।
7. **सोशल मीडिया पर ओवरशेयरिंग न करें** – यात्रा की जानकारी, लोकेशन, बैंक डिटेल्स या OTP किसी के साथ साझा न करें।
8. **बिना जांचे QR कोड स्कैन न करें** – साइबर ठग फर्जी QR कोड के जरिए पैसे उड़ा सकते हैं।
9. **ऑनलाइन फ्रॉड में जल्दबाजी न करें** – किसी भी ऑफर, इनाम या जॉब के नाम पर जल्दबाजी में पैसे न भेजें।
10. **साइबर अपराध को नजरअंदाज न करें** – यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।